(d) whether any of the Municipal Corporations or allied institutions have been given funds by these organisations directly; and

(e) whether Government control the expenditure made by the States and Municipal Corporations or allied Institutions, if so, the number of the schemes that could not be completed in time, resulting in escalation of loss?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Scarcity of drinking water in Maharashtra**

1519. SHRI SATISH PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of villages, district-wise, facing drinking water scarcity in Maharashtra;

(b) whether it is a fact that these villages are having the problem perennially over the last two decades;

(c) what are the schemes Government have approved and implemented so far to provide potable water to the affected villages; and

(d) what is the number of villages that received potable water during the last five years under various schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) As on 31-3-94, a total of 22 villages had no-source of drinking water facilities. District-wise information is not maintained by Central Government.

(b) The above villages were identified as problem villages in the survey of 1985.

(c) The schemes for the coverage of these villages have been approved for implementation under Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) and Integrated rural water supply and Environmental sanitation project being funded by the World Bank. Under ARWSP 6 villages will be covered in 1994-95 and 12 villages during next year. The remaining four villages will be covered under the World Bank Project for which implementation of the scheme is yet to be taken up by the State Government.

(d) The No. of villages in Maharashtra covered under Rural Water Supply Programme during the last five years are as under:

| Year | No. of Villages |
|---|---|
| 1989-90 . . . | 2255 |
| 1990-91 . . . | 1842 |
| 1991-92 . . . | 1631 |
| 1992-93 . . . | 814 |
| 1993-94 . . . | 1343 |

**उत्तर प्रदेश में "मिलियन वेल्स" स्कीम**

1520. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मिलियन वेल्स" स्कीम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में 1993-94 के वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्मित कुओं की संख्या कितनी है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान 10 लाख कुओं की योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया था तथा यह जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भी जारी है। 1989–90 तक 10 लाख कुओं की योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छोटे और सीमान्त किसानों तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे मुक्त बंधुआ मजदूरों को सिंचाई के कुएं निःशुल्क उपलब्ध कराना था। 1990–91 के बाद से 10 लाख कुओं की योजना के अंतर्गत अनेक कार्यों का पैकेज जैसे खुले सिंचाई कुओं का निर्माण कार्य/लघु सिंचाई योजनायें जैसे सिंचाई टैंक, जल एकत्रीकरण ढांचे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों की भूमि के विकास का कार्य भी शामिल किया गया।

इस योजना के अंतर्गत व्यापक आबंटन और इस योजना के लाभ गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को दिलाने की मांग थी। तदनुसार वर्ष 1993–94 से गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छोटे तथा सीमान्त किसानों, जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं, को कवर करने के लिए 10 लाख कुओं की योजना के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है। क्षेत्रगत निधि निर्धारण जो, 1992–93 तक जवाहर रोजगार योजना की कुल निधियों का 20% था, को इस शर्त के आधार पर कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ 10% से अधिक न हों, 1993–94 से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1993–94 के अन्त तक 10 लाख कुओं की योजना के अंतर्गत राज्य में 19621 कुएं निर्मित किए गए है।

**मध्य प्रदेश में रोजगार आश्वासन योजना का कार्यान्वयन**

1521. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए मध्य प्रदेश के गांवों/शहरों की जिलेवार संख्या कितनी-कितनी है और प्रत्येक गांव और शहर के लिए 1993–94 और 1994–95 के वर्ष के लिए प्रत्येक योजना-वार क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) बेरोजगार युवकों से जिलेवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें आदिवासी आवेदकों की संख्या कितनी है और अब तक इस योजना से कितने बेरोजगार युवक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिलेवार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) से (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से उन खंडों के सभी गांवों में कार्यान्वित की जा रही है जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचलन में है। मध्य प्रदेश में 223 खंडों के सभी गांवों में सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है जो पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं जहां श्रमिक कार्य के रोजगार की मांग है।

18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, को स्वयं को उन ग्राम पंचायतों, जहां वे रहते हैं, पंजीकृत करवाना चाहिए। मध्य प्रदेश से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, सुनिश्चित रोजगार